लोक सुनवाई का वृत।

श्री पिंटू कुमार, पिता–श्री गणेश यादव, ग्राम–बेरार टोला, पोस्ट–बराह, थाना–रानी तालाब, पटना द्वारा भोजपुर सोन–04 बालू घाट, मौजा–कोईलवर और सुरौधा, अंचल–कोईलवर, जिला–भोजपुर के अन्तर्गत परियोजना से संबंधित पर्यावरणीय स्वीकृति के वास्ते पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, भारत सरकार के अधिसूचना सं0–एस.ओ.1533, दिनांक 14 सितम्बर, 2006 के तहत् दिनांक 13.06.2023 को पूर्वाह्न 11:00 बजे कोईलवर प्रखण्ड सभागार, कोईलवर जिला–भोजपुर में लोक सुनवाई की गयी।

पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, भारत सरकार अधिसूचना सं0–एस.ओ. 1533, दिनांक 14 सिम्बर 2006 एवं यथा संशोधित के तहत् राज्य स्तरीय पर्यावरणीय समाघात निर्धारण प्राधिकरण, बिहार के द्वारा निर्गत TOR File.No.SIA/1(a)/2252/2023, dated 27.01.2023 के आलोक में श्री सुनील कुमार पाण्डेय, निदेशक, जिला ग्रामीण विकास अधिकरण, भोजपुर (जिला पदाधिकारी, भोजपुर के प्रतिनिधि) की अध्यक्षता में बिहार राज्य प्रदूषण नियंत्रण पर्षद, द्वारा दिनांक 13.06.2023 को पूर्वाह्न 11:00 बजे कोईलवर प्रखण्ड सभागार, कोईलवर, भोजपुर में लोक–सुनवाई आयोजित की गयी। उपस्थिति पंजी संलग्न (**अनुलग्नक–1**)

इस लोक–सुनवाई की सूचना बिहार राज्य प्रदूषण नियंत्रण पर्षद् द्वारा दैनिक समाचार पत्रों यथा दैनिक जागरण एवं टाइम्स ऑफ इंडिया के माध्यम से दिनांक 11.05.2023 को प्रकाशित की गयी थी (**प्रतिलिपि संलग्न**)। लोक–सुनवाई के दौरान श्री आशीष कुमार गुप्ता, क्षेत्रीय पदाधिकारी, बिहार राज्य प्रदूषण नियंत्रण पर्षद्, पटना द्वारा लोक–सुनवाई में उपस्थित जन–समुदाय एवं सभी संबंधित पदाधिकारियों का स्वागत करते हुए पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्त्तन मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा अधिसूचित पर्यावरण प्रभाव मूल्यांकन अधिसूचना सं0–एस.ओ.1533, दिनांक 14 सितम्बर 2006 एवं यथा संशोधित के तहत् इकाई के पर्यावरणीय स्वीकृति हेतु लोक–सुनवाई की पृष्ठ–भूमि पर प्रकाश डाला गया। लोक हित में कार्य योजना से संबंधित सुनवाई के उद्देश्य से उपस्थित लोगों को अवगत कराया गया। साथ ही स्थानीय लोगों से पर्यावरण संरक्षण एवं लोक हित के संबंध में सुझाव/विचार/मंतव्य माँगा गया।

लोक सुनवाई कार्यक्रम के अध्यक्ष के अनुमति से परियोजना के पर्यावरणीय सलाहकार श्री प्रवीण कुमार सिन्हा ने इकाई की खनन कार्य परियोजना, प्रदूषण नियंत्रण व्यवस्था एवं कॉरपोरेट पर्यावरण जिम्मेदारी (Corporate Environmental Responsibility) आदि के संबंध में आमजनों को विस्तृत रूप से अवगत कराया। इनके द्वारा सूचित किया गया कि खनन कार्य के उपरान्त परिवहन के दौरान उत्सर्जित होने वाले धूल–कण की रोक–थाम हेतु सड़को पर नियमति रूप से जल छिड़काव किया जायेगा । वाहनों पर ओवरलोडिंग नही की जायेगी। वाहनों को तिरपाल से ढ़क कर ले जाया जायेगा। खनन कार्य सतह से 3 मीटर की गहराई तक या भू–जल स्तर से ऊपर तक किया जायेगा। ध्वनि प्रदूषण को नियंत्रित करने हेतु ध्वनि यंत्र (हार्न) का न्यूनतम उपयोग किया जायेगा। पुराने एवं खराब वाहनों का इस्तेमाल नहीं किया जायेगा। सड़क के किनारे एवं खनन पट्टा क्षेत्र में वृक्षारोपण (130 नं0)का कार्य किया जायेगा। बालू खनन के दौरान पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, भारत सरकार के Sutainable Sand Mining Management

Guidelines 2016 (SSMG-2016) एवं Enforcement & Monitoring Guidelines for Sand Mining-2020 (EMGSM-2020) के प्रावधानों का अनुपालन किया जायेगा।

परियोजना प्रस्तुततिकरण के पश्चात् उपस्थित महानुभावों द्वारा दिए गए सुझाव/ मंतव्य निम्नवतः हैः–

कमांक	नाम एवं पता	प्रतिकिया/सुझाव
1.	श्री जितेश कुमार सिंह, पिता– श्री शशिकांत सिंह, ग्राम–कोईलवर, जिला– भोजपुर।	इनके द्वारा पूछा गया कि वायु प्रदूषण के क्या–क्या उपाय है। पर्यावरणीय सलाहकार द्वारा बताया गया कि बालू से लदा गाड़ी तिरपाल से ढ़ककर ले जाया जायेगा। ओभर लोडिंग नहीं किया जायेगा। यातायात के नियमों को सुनिश्चित किया जायेगा। दिन में 02 बार जल–छिड़काव किया जायेगा। 130 पेड़ लगाने का प्रस्ताव है। इसके अलावे भी ग्रामीणों की मांग करने पर उनको मुफ्त में पौधा उपलब्ध कराया जायेगा।संवेदक द्वारा रैयत भू–मालिक के सहमति से पेड़ लगाये जायेंगे।
2.	श्री धमेंद्र कुमार यादव, पिता–श्री लक्ष्मण राय, ग्राम–कोईलवर, जिला–भोजपुर।	इनके द्वारा सुझाव दिया गया कि बालू खनन शत प्रतिशत नियम पूर्वक होना चाहिए। दिन में 4–5 बार जल–छिड़काव होना चाहिए। वाहन का परिवहन Speed limit कम होना चाहिए।
3.	श्री जय कुमार, पिता–गोवर्धन यादव, ग्राम–कोईलवर, जिला–भोजपुर।	इनके द्वारा पूछा गया कि बालू खनन परियोजना से स्थानीय लोग को क्या लाभ मिलेगा। पर्यावरणीय सलाहकार द्वारा बताया गया कि प्राथमिकता के आधार पर स्थानीय लोग को रोजगार प्रदान किया जायेगा। प्रत्यक्ष एवं अप्रत्यक्ष रूप से रोजगार का सृजन होगा। स्थानीय क्षेत्र के आस–पास ग्रीनवेल्ट विकास किया जायेगा, क्षेत्र में सामाजिक, आर्थिक वातावरण पर सकरात्मक प्रभाव पड़ेगा।
4.	श्री अभिषेक कुमार उपाध्याय, पिता–श्री भोला उपाध्याय, ग्राम–कोईलवर, जिला–भोजपुर।	इनके द्वारा पूछा गया कि बालू खान से हमलोग को क्या फायदा होगा। पर्यावरणीय सलाहकार द्वारा बताया गया कि प्राथमिकता के आधार

		पर स्थानीय लोग को रोजगार प्रदान किया जायेगा। प्रत्यक्ष एवं अप्रत्यक्ष रूप से रोजगार का सृजन होगा। स्थानीय क्षेत्र के आस–पास ग्रीनवेल्ट विकास किया जायेगा, क्षेत्र में सामाजिक, आर्थिक वातावरण पर सकरात्मक प्रभाव पड़ेगा।
5.	श्री सत्येंद्र प्रसाद यादव, पिता–श्री रामनन्द यादव, ग्राम–धण्डीहा, जिला–भोजपुर।	इनके द्वारा पूछा गया कि बालू खनन परियोजना से पंचायत को क्या लाभ मिलेगा। खनन विकास पदाधिकारी, भोजपुर द्वारा बताया गया कि कोईलवर अंचल के अंदर ही वह पंचायत आयेगा। खनन प्रभावित क्षेत्र के लिए जिला खनिज फाउंडेशन में संचित राशि से इस क्षेत्र में शिक्षा, स्वास्थ्य, पेय–जल इत्यादि पर खर्च करने का प्रावधान है। खनन परियोजना के कुल लागत का 2% राशि इसमें संचित होता है। मिशन कायाकल्प के तहत् खनन प्रभावित क्षेत्र का विकास किया जाता है। इस क्षेत्र के प्रभावित आम जनता भी अपना मांग रख सकती है, इस राशि से उसको पूरा करने का अनुशंसा किया जायेगा। अगर आपको पंचायत के विकास के लिए अलग से फंड चाहिए तो जिला पदाधिकारी को आवेदन दे सकते हैं।
6.	श्री रोहित कुमार, पिता–श्री सत्येन्द्र सिंह, ग्राम– कोईलवर, जिला–भोजपुर	इनके द्वारा बताया गया कि बालू खनन से जलस्तर नीचे चला जाता है। पर्यावरणीय सलाहकार द्वारा सूचित किया गया कि खनन कार्य सतह से 3 मीटर की गहराई तक या भू–जल स्तर से ऊपर तक किया जायेगा। इससे जलस्तर नीचे जाने की संभावना नहीं रहेगी।

खनिज विकास पदाधिकारी, भोजपुर द्वारा बताया गया कि खनन प्रभावित क्षेत्र के लिए जिला खनिज फाउंडेशन में संचित राशि से इस क्षेत्र में शिक्षा, स्वास्थ्य, पेय–जल इत्यादि पर खर्च करने का प्रावधान है। खनन परियोजना के कुल लागत का 2% राशि इसमें संचित होता है। मिशन कायाकल्प के तहत् खनन प्रभावित क्षेत्र का विकास किया

जाता है। इस क्षेत्र के प्रभावित आम जनता भी अपना मांग रख सकती है, इस राशि से उसको पूरा करने का अनुशंसा किया जायेगा।

अध्यक्ष द्वारा बताया गया कि वाहनों से बालू ले जाने के क्रम में नियमित रूप से परिवहन मार्ग पर जल छिड़काव करेगें एवं बालू से लदे वाहनों को तिरपाल से ढ़क कर ही ले जायेगें। बालू की खुदाई 3 मीटर ही करेगें। उन्होने उम्मीद जताया कि इकाई प्रबंधन द्वारा इन उपरोक्त बिन्दुओं पर गम्भीरता से ध्यान रखा जायेगा। साथ ही वैज्ञानिक तरीके से बालू खनन का कार्य एवं विभागीय निर्देश का अनुपालन किया जायेगा।

उन्होंने कम–से–कम 500 पेड़ लगाने का सुझाव दिये। पौधो का रख–रखाव स्थानीय ग्रामीण के द्वारा ही सुनिश्चित कराया जाय।

उनके द्वारा बताया गया कि अगर काम प्रारंभ होगा तो समस्या आयेगी। संवेदक से मिलकर समस्या का निराकरण सुनिश्चित करायें। लाभ तभी मिलेगा जब सकारात्मक सोच रखेंगे। गाँव की अर्थ–व्यवस्था में भागीदारी बनें। जिला प्रशासन के साथ–साथ गाँव के लोग भी अनुपालन सुनिश्चित करायें।

जन–सुनवाई के अंत में उपस्थित जनता के सुझाव को संग्रहित करते हुए सर्वसम्मति से बालू घाट के खनन परियोजना को शीघ्र प्रारंभ करने के लिए सक्षम प्राधिकार को अनुशंसा करने का निर्णय लिया गया। तत्पश्चात् लोक सुनवाई सधन्यवाद समाप्त करने की घोषणा की गयी।

14.6.23
क्षेत्रीय पदाधिकारी
बि.रा.प्र.नि.पर्षद्,पटना

14/6/23
निदेशक,
जिला ग्रामीण विकास अधिकरण
भोजपुर

उपस्थिति सूची

श्री पिंटू कुमार द्वारा सोन-04 बालू घाट, मौजा-कोईलवर और सुरौधा, अंचल-कोईलवर, जिला--भोजपुर में आयोजित लोक-सुनवाई के दौरान उपस्थित व्यक्तियों की सूचीः

स्थान-कोईलवर प्रखण्ड सभागार, कोईलवर दिनांक 13.06.2023 समय-11:00 A.M

क्र०सं०	नाम	पता	हस्ताक्षर
1.	सुनील कु० पाण्डेय	निदेशक, डी.आर.डी.ए. भोजपुर।	13/6/23
2.	आशीष कुमार गुप्ता	क्षेत्रीय पदाधिकारी, बि०रा० प्र० नि० पर्षद, पटना	13-6-23
3.	आनन्द प्रकाश	खनिज विकास पदाधिकारी भोजपुर	13/06/2023
4.	प्रतीक कुमार सिन्हा	201, राजा बाजार, पटना Env consultant	
5.	[illegible] मिश्रा	"	[illegible] मिश्रा
6.	विशाल सिंह	कोईलवर सुरौधा	विशाल सिंह
7.	उपेन्द्र राय	कोईलवर सुरौधा	उपेन्द्र
8.	रोहित कुमार	कोईलवर चौक	Rohit
9.	राकेश कुमार	कोईलवर	Rakesh
10.	जितेश कुमार	कोईलवर	JITESH KUMAR
11.	जय कुमार	कोईलवर	Jay Kumar
12.	संजय कुमार	कोईलवर	Sanjay Kumar

13.			
14.			
15.			
16.	Ramvijay Kumar	Pandey	
17.			
18.	Aravind Kumar	Dhandiha	
19.			
20.			
21.			
22.	Saurav Kr. Yadav	Dhandiha	
23.			
24.			
25.			
26.			
27.			